संख्या-28/2026/836/58-2026-2038188

प्रेषक,

संजीव कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 08-04-2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान संख्या-83 के अधीन प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष धनराशि रू0-2000.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-02/बजट/2026-27, दिनांक 02.04.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान संख्या-83 के अधीन प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष धनराशि रू0-2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उद्यान शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहाँ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।
2. उद्यान शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है, तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान विभाग तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. प्रश्नगत स्वीकृत में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-04/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

7. उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान विभाग तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401007890700 (औद्यानिक विकास कार्यक्रम)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2401007890700 औद्यानिक विकास कार्यक्रम	27 सब्सिडी	14,00,00,000 (रुपये चौदह करोड़ मात्र)
2	083	2401007890700 औद्यानिक विकास कार्यक्रम	42 अन्य व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**15,00,00,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401007890800 (मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना (फल, फूल, मसाला, औषधीय व सुगन्ध) (राज्य योजना))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2401007890800 मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना (फल, फूल, मसाला, औषधीय व सुगन्ध) (राज्य योजना)	27 सब्सिडी	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
	कुल			**5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)**

महायोग	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 28/2026/836(1)/58-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
संजीव कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in